AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No.22 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGULATION) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGUATION) AMENDMENT BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses

1. Short title.

2. Amendment of section 3

Bill No. 22 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGUATION) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (Act No. 15 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title — This Act may be called the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Amendment Act, 2016.

2. Amendment of section 3. — In section 3 of the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 in sub-section (1),

(a) in second proviso in clause (b), after the words and sign "for securing loan, to any", the words and signs "Nationalized Commercial Bank or to any Co-operative Bank, having its headquarter within the State or to any" shall be inserted. ; and

(b) in third proviso, for the words, sign and figures " Land Acquisition Act, 1894", the words, signs and figures "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

The Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 regulates the transfer of land in the State of Himachal Pradesh in the interest of persons belonging to Scheduled Tribe. Further second proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act allows mortgage of land by such persons for securing loan from Cooperative Land Mortgage Bank or any Co-operative Societies, all member of which belong to Scheduled Tribe but persons belonging to such community cannot mortgage their land for securing loan from any Nationalized Commercial Bank or Co-operative Bank of the State. In case such person intends to secure loan from any Nationalized Commercial Bank or Co-operative Bank of the State, he will have to meet the requirement of sub-section (1) of section 3 of the Act. For obtaining approval of the State Government under section 3 (1), a person belonging to Scheduled Tribe has to follow the procedure specified under the Act ibid and the rules made there under which is time consuming and causes great inconvenience. Even Scheduled Banks are also facing great hurdle in extending credit facilities to the members of such community in the State due to this provision. Thus, in order to overcome this difficulty, it has been decided to make suitable amendments in the Act

ibid so that the members of Scheduled Tribe community may be able to secure loan from Nationalized Commercial Banks and Co-operative Banks in the State, in addition to any Co-operative Land Mortgage Bank or any Co-operative Society, by way of mortgage. This has necesitiated amendments in section 3 of the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforsaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister

Shimla :
The , 2016

*****

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGUATION) AMENDMENT BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (Act No. 15 of 1969).

(VIRBHADRA SINGH)

Chief Minister

(DR. BALDEV SINGH)

Principal Secretary (Law).

Shimla :

The , 2016

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGULATION) ACT, 1968 (ACT NO. 15 OF 1969) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section :

3. Regulation of transfer of land-(1). No person belonging to Scheduled Tribe shall transfer his interest in any land including any constructed premises by way of sale, mortgage, lease, gift or otherwise to any person not belonging to such tribes except with the previous permission in writing to the State Government.

Provided that the State Government before according such permission shall consult the Gram Sabha or Gram Panchayats at the appropriate level Provided further that nothing in this sub-section shall apply to any transfer,

(a) by way of lease of a building on rent; and

(b) By way of mortgage, for securing loan, to any Co-operative Land Mortgage Bank or to any Co-operative Society, all members of which belong to Scheduled Tribes :

Provided further that previous permission in writing of the State Government and prior consultation of Gram Sabha or Panchayats at appropriate level shall be required for making the acquisition of land under Land Acquisition Act, 1894 in the Scheduled Areas for development of Projects and before re-settling or rehabilitating persons evicted by such projects in the scheduled areas, the actual planning and implementation of the projects in the scheduled areas shall be co-ordinated at the State level ;

(2) Every transfer of interest in land made in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be void.

2016 का विधेयक संख्यांकः 22

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016.

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016.

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।

2. धारा 3 का संशोधन ।

2016 का विधेयक संख्यांकः 22

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016.

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15)का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम । 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है ।

धारा 3 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) में ,

(क) द्वितीय परन्तुक के खण्ड (ख) में, "ऋण प्राप्त करने के लिए, किसी" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक या किसी सहकारी बैंक, जिसका मुख्यालय राज्य में हो या किसी" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगें ।; और

(ख) तृतीय परन्तुक में "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में भूमि के अन्तरण को विनियमित करता है । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) का द्वितीय परन्तुक ऐसे व्यक्तियों द्वारा सहकारी भूमि बन्धक बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी जिसके समस्त सदस्य अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है, से ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि बन्धक रखना अनुज्ञात करता है , किन्तु ऐसे समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति किसी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक या राज्य के सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि को बन्धक नहीं रख सकते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति किसी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक से या राज्य के सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता है तो उसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की अपेक्षा को पूर्ण करना होगा । धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति को पूर्वोक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है जो अधिक समय लेने वाली है और जिससे अत्याधिक असुविधा होती है । यहां तक कि अनुसूचित बैंकों को भी इस उपबन्ध के कारण राज्य में ऐसे समुदाय के सदस्यों को ऋण प्रसुविधाएं प्रदान करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए, इस कठिनाई को दूर करने के आशय से, पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य, किसी सहकारी भूमि बन्धक बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी के अतिरिक्त

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक और राज्य में सहकारी बैंकों से, बन्धकस्वरूप ऋण प्राप्त करने में समर्थ हो सकें । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री

शिमला :

तारीख , 2016

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाने हैं और इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

– शून्य –

———————

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016.

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15)का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह

मुख्य मन्त्री

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख , 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) के उपबन्धों के उद्धरण ।

धारा :

3. भूमि के अंतरण का विनियमन –(1) अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति, सिवाए, राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा से , किसी भूमि में किसी निर्मित परिसर सहित अपना हित, विक्रय, बंधक, पट्टे, दान के रूप में या अन्यथा किसी व्यक्ति को, जो ऐसी जनजाति से सम्बन्ध नहीं रखता है, अन्तरित नहीं करेगा :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसी अनुज्ञा देने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम सभा या पंचायतों से समुचित स्तर पर परामर्श करेगी :

परन्तु यह और कि इस उप–धारा की कोई बात निम्नलिखित किसी अन्तरण को,––

(क) किराया पर किसी इमारत के पट्टे के रूप में; और

(ख) ऋण प्राप्त करने के लिए, किसी सहकारी भूमि बन्धक बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी को बन्धक द्वारा, जिसके सभी सदस्य अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं ; लागू नही होगी :

परन्तु यह और कि अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि अर्जन अधिनियम,1894 के अधीन भूमि का अर्जन करने के लिए , राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा और ग्राम सभा या पंचायतों का समुचित स्तर पर पूर्वपरामर्श अपेक्षित होगा और अनुसूचित क्षेत्रों में, ऐसी परियोजनाओं द्वारा बेदखल किए व्यक्तियों को पुनः बसाये जाने या पुनर्वास करने से पूर्व, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना एंव कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा ।

(2) उप धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में भूमि हित सम्बन्धी किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा ।